डिस्क्लेमर

परामर्श पत्र संख्या 15/2023-24 के मुख पृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/सी/टीवीएम/-सीपी-III/2021-26

परामर्श पत्र संख्या 15/2023-24

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

केरल स्टेट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज लिमिटेड (केएसआईईएल) के संबंध में तिरूवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 18.10.2023

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

हितधारकों की टिप्पणियां

प्राधिकरण ने केरल स्टेट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज लिमिटेड (केएसआईईएल) द्वारा तिरूवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रदान की जा रही कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में प्रस्तुत बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) में निर्धारित विभिन्न अनुमानों पर विचार करने के बाद यह परामर्श पत्र जारी किया है। तदनुसार टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर प्राधिकरण के प्रस्तावों को इस परामर्श पत्र में विस्तार से स्पष्ट किया गया है।

अत: ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 18.10.2023 के परामर्श पत्र संख्या 15/2023-24 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा),
ऐरा प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003, भारत
ई-मेल : trilok@aera.gov.in ; saish.kr@aera.gov.in
प्रतिलिपि : director-ps@aera.gov.in ; secretary@aera.gov.in

हितधारकों की टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	**09.11.2023**
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	**16.11-2023**

टिप्पणियां और जवाबी टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या +91-11-24695048 पर संपर्क कर सकते हैं।

अध्याय 7 : प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार

केएसआईईएल के लिए तिरूवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर टैरिफ निर्धारित करने के संबंध में संगत अध्यायों से संबंधित प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार हितधारक के परामर्श के प्रयोजन से नीचे दिया गया है:

अध्याय	पैरा	प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार	पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या 2	**2.9.1**	केएसआईईएल द्वारा तिरूवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए **"लाइट टच अप्रोच"** के अंतर्गत टैरिफ निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है।	**10**
अध्याय संख्या 3	**3.3.1**	तालिका 3 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए केएसआईईएल द्वारा अनुमानित कार्गो मात्रा को मानने का प्रस्ताव करता है।	**12**
अध्याय संख्या 4	**4.7.1**	तालिका 5 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए आरएबी (कैपेक्स) के परिवर्धनों को मानने का प्रस्ताव करता है।	**17**
	4.7.2	तालिका 7 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मूल्यह्रास को मानने का प्रस्ताव करता है।	
	4.7.3	तालिका 9 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानने का प्रस्ताव करता है।	
अध्याय संख्या 5	**5.5.1**	केएसआईईएल के संबंध में तालिका 12 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए ओपेक्स को मानने का प्रस्ताव करता है।	**22**
अध्याय संख्या 6	**6.2.1**	आयात के अंतर्गत 'सामान्य कार्गो से भिन्न' बीयूपीएस के सिवाय एएफएस से संबंधित सभी श्रेणी के बीयूपीएस (निर्यात एवं आयात कार्गो) में 30% न्यूनतर टीएसपी प्रभारों को मानने का प्रस्ताव करता है, जहां **संलग्नक -II** के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 44% न्यूनतर टीएसपी प्रभार प्रस्तावित हैं।	**25**
अध्याय संख्या 7	**7.4.1**	केएसआईईएल के संबंध में तालिका 16 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर को मानने का प्रस्ताव करता है।	**27**
अध्याय संख्या 8	**8.3.1**	तालिका 21 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए अनुमानित लाभप्रदता विवरण (टैरिफ में प्रस्तावित वृद्धि के बाद) को मानने का प्रस्ताव करता है।	31
	8.3.2	केएसआईईएल के संबंध में **संलग्नक -II** के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ को मानने का प्रस्ताव करता है।	

अध्याय 10 <u>**हितधारक से परामर्श**</u>

10.1 ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त अध्याय 9 में निहित प्राधिकरण के प्रस्ताव एतद्द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत हैं। हितधारकों की सार्थक और रचनात्मक ढंग से प्रस्तुति करने में उनकी सहायता करने के लिए परामर्श पत्र में आवश्यक संलग्नक (**संलग्नक-I *और* II**) भी लगाए गए हैं।

10.2 संदेह दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का इस प्राधिकरण के किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले में प्रत्युतर में हितधारकों से प्राप्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में टैरिफ आदेश में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही आदेश जारी करेगा।

10.3 प्राधिकरण उपर्युक्त अध्याय 9 में दिए गए विभिन्न प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक **09/11/2023** तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
ऐरा भवन, **प्रशासनिक कॉम्पलेक्स**, **सफदरजंग हवाईअड्डा**,
नई दिल्ली –110003.
फोन : 011 24695044-47 ; फैक्स 011-24695048

(अध्यक्ष)